



कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

रेलवे अस्पताल के सामने, रातानाडा, जोधपुर-342001

email- jdajodhpur@yahoo.com वेब-साइट jodhpurjda.org Phone No. 0291-2612086/265635-7 Fax 0291-2612086

क्रमांक: F37.3/नि.आ./ जो.स्त.स./का.वि./2022/ 4859

दिनांक:- 02/12/2022

—:कार्यवाही विवरण:—

नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग के अधिसूचना क्रमांक प.17(1)नविवि/अभियान/2021 दिनांक 25.11.2021 के द्वारा गठित जोन स्तरीय समिति की 10/2022 वीं बैठक दिनांक 01.12.2022 को उपायुक्त (जान-6) की अध्यक्षता में उनके कक्ष में सपन्न हुई जिसमें उपस्थित सदस्य/अधिकारीगण का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है। बैठक में प्रस्तुत एजेण्डा पर लिये गये निर्णय निम्नानुसार है:-

एजेण्डा संख्या 01.

विषय :- जोन स्तरीय समिति की 09/2022 वीं बैठक जोन उत्तर के कार्यवाही विवरण की पुष्टि।

निर्णय :- समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श उपरान्त गत बैठक के कार्यवाही विवरण की सर्वसम्मति से पुष्टि की गयी।

एजेण्डा संख्या	विषय
02.	राजस्व ग्राम पूंजला के खसरा संख्या 278 रकबा 46.03 बीघा (47704.96 वर्गमीटर) में से सर्वे अनुसार 47204.04 वर्गमीटर भूमि पर आवासीय प्रयोजनार्थ ले आउट प्लान अनुमोदन के संबंध में।

1. प्रश्नगत योजना दिनांक 31.12.2021 से पूर्व की है की सुनिश्चितता जोन स्तर पर की जानी है तथा पत्रावली की रिपोर्ट अनुसार 35 प्रतिशत भूखण्डों पर मकान निर्मित है एवम् विद्युत लाईन गुजर रही है। उक्त कॉलोनी में पेट्रोल मार्ग 30 फीट उपलब्ध है।
2. जंभाबदी अनुसार क्षेत्रफल 74704.96 वर्गमीटर सर्वेयर अनुसार योजना का क्षेत्रफल 47204.04 वर्गमीटर है।
3. पत्रावली अवाप्ति शाखा की रिपोर्ट संलग्न नहीं है।
4. पत्रावली के पृष्ठ संख्या 08-09 पर संलग्न रिपोर्ट अनुसार खसरा संख्या 278 में विधी शाखा में बाद लम्बित नहीं है।
5. तहसीलदार जोधपुर की रिपोर्ट पत्रावली के पृष्ठ संख्या 17-18 पर संलग्न है जिसके अनुसार मार्ग पर 30 फीट पेट्रोल मार्ग उपलब्ध है एवं राजस्व रिकार्ड अनुसार मार्ग नहीं है व विद्युत लाईन उपलब्ध है।
6. तहसीलदार रिपोर्ट अनुसार आवेदित भूमि रक्षा विभाग से सटी हुई है एवं सेना की चारदिवारी के पास है उक्त के क्रम में निर्णय लेना अपेक्षित है।
7. मास्टर डवलपमेंट प्लान - 2031 अनुसार पटवारी द्वारा मार्क लोकेशन का भू-उपयोग आवासीय एवम् आंशिक Government reserved area में आरक्षित है। उक्त के क्रम में समिति स्तर पर निर्णय लिया जाना अपेक्षित है।
8. प्रकरण में पृष्ठ संख्या 29 पर संलग्न सुपरइम्पोज्ड मानचित्र में आवेदित भूमि में आन्तरिक सड़कों का मार्गाधिकार 30 फीट एवम् मास्टर डवलपमेंट प्लान 2031 अनुसार Government reserved area रखने के उपरान्त क्षेत्रफल विश्लेषण निम्नानुसार है-

क्र.सं.	प्रयोजन	एरिया (वर्गमीटर)	प्रतिशत
1.	आवासीय	21462.94	45.46
2.	Government reserved area	16370.04	34.67
3.	सड़क	9371.06	19.87
कुल		56455.57	100.00

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा पर विचार विमर्श एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श उपरान्त निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया-

01. एजेण्डा के बिन्दु संख्या 1 के क्रम में जोन स्तर से पुष्टि की जानी अपेक्षित है।
02. एजेण्डा के बिन्दु संख्या 1 के क्रम में विद्युत लाईन की सूचना प्राप्त कर नियमानुसार सेफ्टी कोरिडोर का प्रावधान किया जावे।
03. एजेण्डा के बिन्दु संख्या 3 के क्रम में अवाप्ति शाखा की रिपोर्ट ली जानी अपेक्षित है।
04. प्रश्नगत भूमि में सरकारी भूमि सम्मिलित नहीं हो, की सुनिश्चितता जोन स्तर पर की जावे।

Q

[Handwritten signature]

05. मास्टर डवलपमेंट प्लान - 2031 अनुसार पटवारी द्वारा मार्क लोकेशन का भू-उपयोग आवासीय एवम् आंशिक Government reserved area में आरक्षित है। उक्त के कम में राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 03.09.2021 के अनुसार रक्षामंत्रालय द्वारा स्थापित रक्षा संस्थापक/स्थापना की सीमा से लगते हुए क्षेत्र में 100 मीटर के अन्दर किसी भी निर्माण हेतु तथा 100 मीटर से अधिक किन्तु 500 मीटर की सीमा में चार मंजिल से अधिक निर्माण हेतु रक्षा विभाग के सक्षम अधिकारी से अनापत्ति प्रमाण पत्र लिया जाना आवश्यक होगा। पट्टे जारी करते समय यह शर्त अंकित की जावे।
06. आवेदित भूखण्ड के आस पास के कमिटमेंट की सूचना जोन स्तर से प्राप्त की जावे।
07. उक्त ले-आउट प्लान अनुमोदन गौके पर निर्माण का नियमन/स्वीकृती नहीं है। अतः पट्टा विलेख जारी करते समय भवन विनियम के प्रावधानानुसार सेट बैक छोड़े जाने होंगे तथा नियमानुसार भवन निर्माण स्वीकृती प्राप्त की जानी होगी।
08. प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व, प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की रचय की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही अग्रिम कार्यवाही की जावे।

एजेण्डा संख्या	विषय
03.	राजस्व ग्राम खोखरिया के खसरा संख्या 168, 168/1 रकबा 25.14.00 बीघा (41601.62 वर्गमीटर) भूमि पर आवासीय प्रयोजनार्थ ले आउट प्लान अनुमोदन के संबंध में।

1. प्रकरण को पूर्व में जोन स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 20.05.2022 में समिति द्वारा बाद विचार विमर्श उपरान्त प्रकरण में खसरा संख्या 168 हेतु अवाप्ति की तथा विधि शाखा की रिपोर्ट प्राप्त की जावे, साथ ही आवेदित भूमि तक पहुँच मार्ग के संबंध में स्पष्ट रिपोर्ट प्राप्त की जाकर प्रकरण को आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।
2. गत बैठक में लिये गये निर्णय के कम में विधि शाखा व अवाप्ति शाखा की रिपोर्ट पत्रावली के पृष्ठ संख्या 65-69 पर संलग्न है एवम् तहसीलदार जोधपुर की नवीन रिपोर्ट पृष्ठ संख्या 63-64 पर संलग्न है।
3. पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों अनुसार प्रश्नगत योजना दिनांक 31.12.2021 से पूर्व की है तथा दिनांक 18.11.2021 को पैरा संख्या 52/एन पर आई.एल.आर द्वारा की गयी रिपोर्ट अनुसार मौके पर 40 प्रतिशत से अधिक भूखण्डों पर मकान व चार दीवारी निर्मित है।
4. जमाबंदी अनुसार क्षेत्रफल 41601.62 वर्गमीटर है एवं सर्वेयर अनुसार योजना का क्षेत्रफल 42438.77 वर्गमीटर है।
5. पत्रावली के पृष्ठ संख्या 65-66 पर संलग्न रिपोर्ट अनुसार खसरा संख्या 168, 168/1 अवाप्ति शाखा में विचाराधीन नहीं है।
6. पत्रावली के पृष्ठ संख्या 67-69 पर संलग्न विधि शाखा की रिपोर्ट अनुसार खसरा संख्या 168, 168/1 के संबंध में किसी न्यायालय में कोई वाद लम्बित नहीं है।
7. तहसीलदार जोधपुर की रिपोर्ट पत्रावली के पृष्ठ संख्या 63-64 पर संलग्न है जिसके अनुसार मौका अनुसार पर 30 फीट पहुँच मार्ग उपलब्ध हो रहा है।
8. आवेदित भूमि में विद्युत लाईन (यदि कोई हो) तो उसके नीचे नियमानुसार सेप्टी कोरिडोर छोड़ा जाना अपेक्षित है। तहसीलदार रिपोर्ट अनुसार आवेदित भूमि में से कोई एच.टी.लाईन नहीं गुजर रही है।
9. जोन रिपोर्ट अनुसार खसरा संख्या 168, 168/1 राजस्व ग्राम खोखरिया के आस-पास कोई योजना अनुमोदित नहीं है।
10. प्रकरण में पृष्ठ संख्या 52 पर संलग्न सुपरइम्पोज्ड मानचित्र में आवेदित भूमि के मध्य से स्थित सड़क का मार्गाधिकार जोनल डवलपमेंट प्लान अनुसार 60 फीट एवं आन्तरिक सड़कों का मार्गाधिकार 30 फीट रखने के उपरान्त क्षेत्रफल विश्लेषण निम्नानुसार है-

क्र.सं.	प्रयोजन	एरिया वर्गमीटर	प्रतिशत
1.	आवासीय	28481.47	67.11
2.	सड़क	13957.30	32.89
	कुल	42438.77	100.00

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा पर विचार विमर्श एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श उपरान्त निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया-

01. एजेण्डा के बिन्दु संख्या 04 के कम में प्रश्नगत भूमि में सरकारी भूमि सम्मिलित नहीं हो, की सुनिश्चितता जोन स्तर पर की जावे।
02. एजेण्डा के बिन्दु संख्या 10 के कम में पट्टा विलेख जारी करते समय मौका रिपोर्ट ली जाकर न्यूनतम 30 फीट सड़क

②

Pradeep

m

की सुनिश्चितता की जावे।

03. उक्त ले-आउट प्लान अनुमोदन मौके पर निर्माण का नियमन/स्वीकृती नहीं है। अतः पट्टा विलेख जारी करते समय भवन विनियम के प्रावधानानुसार सेट बैक छोड़े जाने होंगे तथा नियमानुसार भवन निर्माण स्वीकृती प्राप्त की जानी होगी।
04. प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व, प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही अग्रिम कार्यवाही की जावे।

एजेण्डा संख्या	विषय
04.	राजस्व ग्राम बासनी मालियान् के खसरा संख्या 276 रकबा 07.16.00 बीघा (12626.19 वर्गमीटर) भूमि पर आवासीय प्रयोजनार्थ ले आउट प्लान अनुमोदन के संबंध में।

- पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों अनुसार प्रश्नगत योजना दिनांक 31.12.2021 से पूर्व की है। पट्टवारी की रिपोर्ट अनुसार अनुसार 10 प्रतिशत से अधिक भूखण्डों पर मकान व चारदीवारी निर्मित हैं।
- जमाबंदी अनुसार क्षेत्रफल 12626.19 वर्गमीटर है एवं सर्वेयर अनुसार योजना का क्षेत्रफल 12369.62 वर्गमीटर है।
- पत्रावली के पृष्ठ संख्या 19 पर संलग्न रिपोर्ट अनुसार खसरा संख्या 276 अवाप्ति शाखा में विचाराधीन नहीं है।
- पत्रावली के पैरा संख्या 20-21 पर संलग्न रिपोर्ट अनुसार खसरा संख्या 276 विधी शाखा में वाद लम्बित नहीं है।
- तहसीलदार जोधपुर की रिपोर्ट पत्रावली के पृष्ठ संख्या 35-36 पर संलग्न है जिसके अनुसार मौका अनुसार 30 फीट पहुँच मार्ग उपलब्ध हो रहा है। एवं राजस्व रिकार्ड अनुसार नक्शा उपलब्ध नहीं है।
- पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों में पृष्ठ संख्या 14-15 पर संलग्न खसरा गिरदवारी अनुसार आवेदित भूमि का रकबा 07.16.00 बीघा है एवम् 16-17 पर संलग्न जमाबंदी अनुसार आवेदित भूमि का रकबा 12.10.00 बीघा अंकित है। अतः उक्त के कम में जोन स्तर से टिप्पणी प्राप्त की जानी है।
- प्रकरण में पृष्ठ संख्या 32 पर संलग्न सुपरइम्पोज्ड मानचित्र में आवेदित भूमि में आन्तरिक सड़कों का मार्गाधिकार 30 फीट रखने के उपरान्त क्षेत्रफल विश्लेषण निम्नानुसार है-

क.सं.	प्रयोजन	एरिया (वर्गमीटर)	प्रतिशत
1.	आवासीय	8841.26	71.47
2.	सड़क	3528.40	28.53
	कुल	12369.62	100.00

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा पर विचार विमर्श एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श उपरान्त निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया-

- एजेण्डा के बिन्दु संख्या 6 के कम में जोन से टिप्पणी प्राप्त की जानी है।
- एजेण्डा के बिन्दु संख्या 7 के कम में पट्टा विलेख जारी करते समय मौका रिपोर्ट ली जाकर न्यूनतम 30 फीट सड़क की सुनिश्चितता की जावे।
- प्रश्नगत भूमि में सरकारी भूमि सम्मिलित नहीं हो, की सुनिश्चितता जोन स्तर पर की जावे।
- आवेदित भूखण्ड के आस पास के कमिटमेंट की सूचना जोन स्तर से प्राप्त की जावे।
- उक्त ले-आउट प्लान अनुमोदन मौके पर निर्माण का नियमन/स्वीकृती नहीं है। अतः पट्टा विलेख जारी करते समय भवन विनियम के प्रावधानानुसार सेट बैक छोड़े जाने होंगे तथा नियमानुसार भवन निर्माण स्वीकृती प्राप्त की जानी होगी।
- प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व, प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही अग्रिम कार्यवाही की जावे।

एजेण्डा संख्या	विषय
05.	राजस्व ग्राम गण्डौर द्वितीय के खसरा संख्या 665 रकबा 04.02.00 बीघा (6636.84 वर्गमीटर) भूमि पर आवासीय प्रयोजनार्थ ले आउट प्लान अनुमोदन के संबंध में।

8

m

Prudh

1. प्रश्नगत योजना दिनांक 31.12.2021 से पूर्व की है उक्त की सूचना जोन स्तर से प्राप्त की जानी है तथा सर्वेयर द्वारा प्रस्तुत मानचित्र अनुसार मौके पर 18 भूखण्ड निर्मित है।
2. जमाबंदी अनुसार क्षेत्रफल 6636.84 वर्गमीटर है एवं सर्वेयर अनुसार योजना का क्षेत्रफल 7103.23 वर्गमीटर है।
3. पत्रावली अवाप्ति शाखा की रिपोर्ट संलग्न नहीं है।
4. पत्रावली के पैरा संख्या 03 पर संलग्न रिपोर्ट अनुसार खसरा संख्या 665 विधी शाखा में वाद लम्बित नहीं है।
5. तहसीलदार जोधपुर की रिपोर्ट पत्रावली के पृष्ठ संख्या 10-11 पर संलग्न है जिसके अनुसार मौका व राजस्व रिकॉर्ड अनुसार 40 फीट पहुँच मार्ग उपलब्ध हो रहा है।
6. जोन से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार आवेदित भूमि को जोविप्रा द्वारा अनुमोदित योजना में से 30 फीट पहुँच मार्ग प्राप्त हो रहा है। उक्त 30 फीट पहुँच मार्ग के मध्य आ रहे भूखण्ड संख्या 25 में से आवश्यक भूमि सड़क हेतु समर्पणनामा प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
7. प्रकरण में पृष्ठ संख्या 12 पर संलग्न सुपरइम्पोज्ड मानचित्र में आवेदित भूमि में आन्तरिक सड़कों का मार्गाधिकार 30 फीट रखने के उपरान्त क्षेत्रफल विश्लेषण निम्नानुसार है—

क.सं.	प्रयोजन	एरिया (वर्गमीटर)	प्रतिशत
1.	आवासीय	4690.28	66.03
2.	सड़क	2412.95	33.97
कुल		7103.23	100.00

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा पर विचार विमर्श एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श उपरान्त निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया—

01. एजेण्डा के दिन्दु संख्या 1 के क्रम में जोन स्तर से पुष्टि की जानी अपेक्षित है एवम् पटवारी रिपोर्ट प्राप्त की जानी है।
02. एजेण्डा के दिन्दु संख्या 3 के क्रम में अवाप्ति रिपोर्ट प्राप्त की जानी है।
03. एजेण्डा के दिन्दु संख्या 7 के क्रम में पट्टा विलेख जारी करते समय मौका रिपोर्ट ली जाकर न्यूनतम 30 फीट सड़क की सुनिश्चितता की जावे।
04. एजेण्डा के दिन्दु संख्या 6 के क्रम में समर्पणनामा प्राप्त किये जाने की सुनिश्चितता जोन स्तर से की जावें।
05. प्रश्नगत भूमि में सरकारी भूमि सम्मिलित नहीं हो, की सुनिश्चितता जोन स्तर पर की जावे।
06. आवेदित भूखण्ड के आस पास के कमिटमेंट की सूचना जोन स्तर से प्राप्त की जावे।
07. उक्त ले-आउट प्लान अनुमोदन मौके पर निर्माण का नियमन/स्वीकृती नहीं है। अतः पट्टा विलेख जारी करते समय भवन विनियम के प्रावधानानुसार सेट बैक छोड़े जाने होंगे तथा नियमानुसार भवन निर्माण स्वीकृति प्राप्त की जानी होगी।
08. प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व, प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही अग्रिम कार्यवाही की जावे।

एजेण्डा संख्या	विषय
06	राजस्व ग्राम धरानी तम्बोलिया के खसरा संख्या 112 से 115 रकबा 64.16.00 बीघा (104894.51 वर्गमीटर) भूमि पर आवासीय प्रयोजनार्थ ले आउट प्लान अनुमोदन के संबंध में।

1. पत्रावली में संलग्न दरतावेजों अनुसार प्रश्नगत योजना दिनांक 31.12.2021 से पूर्व की है तथा पटवारी की रिपोर्ट अनुसार अनुसार 25 प्रतिशत भूखण्डों पर मकान निर्मित है।
2. जमाबंदी अनुसार क्षेत्रफल 104894.51 वर्गमीटर है एवं सर्वेयर अनुसार योजना का क्षेत्रफल 63240.60 वर्गमीटर है।
3. पत्रावली के पृष्ठ संख्या 07 पर संलग्न रिपोर्ट अनुसार खसरा संख्या 112, 113, 114, 115 अवाप्ति शाखा में विचाराधीन नहीं है।
4. पत्रावली के पैरा संख्या 06 पर संलग्न रिपोर्ट अनुसार खसरा संख्या 112, 113, 114, 115 विधी शाखा में वाद लम्बित नहीं है।
5. तहसीलदार जोधपुर की रिपोर्ट पत्रावली के पृष्ठ संख्या 45-48 पर संलग्न है जिसके अनुसार मौका व राजस्व रिकॉर्ड अनुसार खसरा संख्या 115 व पट्टा नम्बर को 30 फीट पहुँच मार्ग उपलब्ध हो रहा है।
6. प्रकरण में पृष्ठ संख्या 53 पर संलग्न सुपरइम्पोज्ड मानचित्र में आवेदित भूमि में आन्तरिक सड़कों का मार्गाधिकार 30 फीट रखने के उपरान्त क्षेत्रफल विश्लेषण निम्नानुसार है—

②

Pradeep

u

क्र.सं.	प्रयोजन	एरिया (वर्गमीटर)	प्रतिशत
1.	आवासीय	43876.46	69.38
2.	सुविधा क्षेत्र	152.64	0.24
3.	सडक	19211.50	30.38
कुल		63240.60	100.00

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा पर विचार विमर्श एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श उपरान्त निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया-

- एजेण्डा के बिन्दु संख्या 6 के कम में पट्टा विलेख जारी करते समय मौका रिपोर्ट ली जाकर न्यूनतम 30 फीट सडक की सुनिश्चितता की जाएं।
- प्रश्नगत भूमि में सरकारी भूमि सम्मिलित नहीं हो, की सुनिश्चितता जोन स्तर पर की जावे।
- आवेदित भूखण्ड के आस पास के कमिटमेंट की सूचना जोन स्तर से प्राप्त की जावे।
- उक्त ले-आउट प्लान अनुमोदन मौके पर निर्माण का नियमन/स्वीकृती नहीं है। अतः पट्टा विलेख जारी करते समय भवन विनियम के प्रावधानानुसार सेट बैक छोड़े जाने होंगे तथा नियमानुसार भवन निर्माण स्वीकृति प्राप्त की जानी होगी।
- प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व, प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही अग्रिम कार्यवाही की जावे।

एजेण्डा संख्या	विषय
07.	राजस्व ग्राम बासनी डिगाडी के खसरा संख्या 25/1/5, 25/1/6 रकबा 03.10.00 बीघा (5665.59 वर्गमीटर) भूमि पर आवासीय प्रयोजनार्थ ले आउट प्लान अनुमोदन के संबंध में।


- प्रश्नगत योजना दिनांक 31.12.2021 से पूर्व की है उक्त के कम में सूचना जोन से प्राप्त की जानी है तथा पट्टावली की रिपोर्ट अनुसार अनुसार 03 भूखण्डों में मकान निर्मित है।
- जमाबंदी अनुसार क्षेत्रफल 5665.59 वर्गमीटर है एवं सर्वेयर अनुसार योजना का क्षेत्रफल 4571.82 वर्गमीटर है।
- पत्रावली के पैरा संख्या 04 पर संलग्न रिपोर्ट अनुसार खसरा संख्या 25/1/5, 25/1/6 विधी शाखा में वाद लम्बित नहीं है।
- पत्रावली के पैरा संख्या 15 पर संलग्न रिपोर्ट अनुसार खसरा संख्या 25/1/5, 25/1/6 अवाप्ति शाखा में विवाराधीन नहीं है।
- तहसीलदार जोधपुर की रिपोर्ट पत्रावली के पृष्ठ संख्या 73-74 पर संलग्न है जिसके अनुसार मौक पर 30 फीट पट्टा मार्ग उपलब्ध हो रहा है।
- प्रकरण में पृष्ठ संख्या 67 पर संलग्न सुपरइम्पोज्ड मानचित्र में आवेदित भूमि में आन्तरिक सडकों का मापनिकार 30 फीट रखने के उपरान्त क्षेत्रफल विश्लेषण निम्नानुसार है-

क्र.सं.	प्रयोजन	एरिया (वर्गगज)	प्रतिशत
1.	आवासीय	2865.9	62.68
2.	सडक	1705.92	37.31
कुल		4571.82	100.00





निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा पर विचार विमर्श एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श उपरान्त निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया-

- एजेण्डा के बिन्दु संख्या 1 के कम में जोन स्तर से पुष्टि की जानी अपेक्षित है।
- एजेण्डा के बिन्दु संख्या 6 के कम में पट्टा विलेख जारी करते समय मौका रिपोर्ट ली जाकर न्यूनतम 30 फीट सडक की सुनिश्चितता की जाएं।
- प्रश्नगत भूमि में सरकारी भूमि सम्मिलित नहीं हो, की सुनिश्चितता जोन स्तर पर की जावे।
- आवेदित भूखण्ड के आस पास एवम् दक्षिण दिशा की तरफ के कमिटमेंट की सूचना जोन स्तर से प्राप्त की जावे।
- उक्त ले-आउट प्लान अनुमोदन मौके पर निर्माण का नियमन/स्वीकृती नहीं है। अतः पट्टा विलेख जारी करते समय भवन विनियम के प्रावधानानुसार सेट बैक छोड़े जाने होंगे तथा नियमानुसार भवन निर्माण स्वीकृति प्राप्त की जानी होगी।






06. प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व, प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लंगित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही अग्रिम कार्यवाही की जावे।

 तहसीलदार जोधपुर विकास प्राधिकरण	 सहायक/अधिशायी अभियन्ता जोधपुर विकास प्राधिकरण	 सहायक नगर नियोजक जोधपुर विकास प्राधिकरण	 उपायुक्त (जोन-6) जोधपुर विकास प्राधिकरण
---	---	--	---


क्रमांक: F37.(3)/नि.आ./जो.स्त.स./का.वि./2022/4860-4865. दिनांक:- 02/12/2022
प्रतिलिपी :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, आयुक्त महोदय, जो.वि.प्रा., जोधपुर
2. निजी सचिव, सचिव महोदय, जो.वि.प्रा., जोधपुर
3. निदेशक (आयोजना) महोदय, जो.वि.प्रा., जोधपुर
4. उपायुक्त जोन-6, जो.वि.प्रा., जोधपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. सहायक/अधिशायी अभियन्ता, जो.वि.प्रा., जोधपुर
6. तहसीलदार, जो.वि.प्रा., जोधपुर


सहायक नगर नियोजक
एवं सदस्य सचिव, जोन स्तरीय समिति
जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
परिशिष्ट-"1"

जोन स्तरीय समिति की 10/2022 वीं बैठक दिनांक 02.12.2022 को उपायुक्त (जोन-6) की अध्यक्षता में उनके कक्ष में आयोजित हुई, बैठक में उपस्थिति निम्नवत थी:-

- | | |
|---|----------------|
| 1. श्री सुभाष चन्द्र शर्मा, निदेशक आयोजना, जो.वि.प्रा. जोधपुर। | विशेष आमंत्रित |
| 2. श्री श्रवण कुमार विश्वा, उपायुक्त (जोन-6), जो.वि.प्रा. जोधपुर। | संयोजक |
| 3. श्री अधिशायी अभियन्ता, जो.वि.प्रा. जोधपुर। | सदस्य |
| 4. श्री अनुज अग्रवाल, उप नगर नियोजक, जो.वि.प्रा. जोधपुर। | विशेष आमंत्रित |
| 5. श्री तहसीलदार जो.वि.प्रा. जोधपुर। | सदस्य |
| 6. प्रियंका चौपडा, सहायक नगर नियोजक, जो.वि.प्रा. जोधपुर। | सदस्य सचिव |


सहायक नगर नियोजक
एवं सदस्य सचिव, जोन स्तरीय समिति
जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर